(28 जुलाई, 2014 की सायं 04:00 बजे तक प्रकाशन प्रतिबंधित)

प्रेस विज्ञप्ति

28 जुलाई, 2014

नई दिल्ली

जन–पोषण नीति और कार्यक्रमों में बड़ी खाद्य पदार्थ कंपनियों की घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग

हम अधोलिखित हस्ताक्षरकर्ता भारतीय खाद्य प्रणाली में बड़ी खाद्य पदार्थ कंपनियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर अत्यंत चिंतित है। हमारा मानना है कि ये बड़ी खाद्य पदार्थ कंपनियां भारत के एक संभावनाशील विशाल खाद्य पदार्थ बाजार पर कब्जा जमाना चाहती हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान हमने मिड–डे मील्स और आईसीडीएस जैसे जन–भरण कार्यक्रमों (पब्लिक फीडिंग प्रोग्राम्स) में उस प्राइवेट सेक्टर के प्रयासों का विरोध किया है, जो ताज़ा पकाए गए आहार और स्थानीय खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में पैकेटबंद तैयार खाद्य पदार्थों की पैरवी करता है।

यह जाना–पहचाना तथ्य है कि भारत मोटोपे और गैर–संक्रामक बीमारियों के बढ़ते प्रचलन का सामना कर रहा है, जो मुख्य रूप से बड़ी खाद्य पदार्थ कंपनियों की आक्रामक मार्केटिंग से प्रभावित आहार संबंधी अस्वास्थ्यकर तौर तरीकों से होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और लांसेट जैसी प्रमुख विज्ञान पत्रिकाओं के अनुसार मीठे पेयों और जंक फूड्स के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम अत्यधिक बढ़ जाते हैं और मोटापे, डायबिटीज एवं यहां तक कि मौत का खतरा पैदा हो सकता है।

इस संदर्भ में हित–संघर्ष को रोकने की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर स्वीकार की गई है ताकि निहित स्वार्थों से जन पोषण नीति की रक्षा की जा सके। जैसाकि डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डा. मारग्रेट चान ने चेतावनी के तौर पर कहा है– ''जन–स्वास्थ्य नीति में बड़ी खाद्य पदार्थ कंपनियों, बड़ी सोड़ा कंपनियों और बड़ी शराब कंपनियों का डट कर विरोध किया जाना चाहिए ... जब उद्योग को नीति निर्धारण में शामिल किया जाता है तो यह पक्की बात है कि भले ही सर्वाधिक सख्त नियंत्रण लगा दिए जाएं, उनमें छिद्र तलाश कर बेजा फायदा उठाया जाएगा या ये नियंत्रण मटियामेट कर दिए जाएंगे। दस्तावेजों में इस तथ्य पर अच्छी तरह प्रकाश डाला गया है और यह अत्यंत खतरनाक सिलसिला है।''

हित–संघर्ष रोकने की आवश्यकता संबंधी बयान अक्सर दिए जाते हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा इस बारे में ठोस कदम उठाया जाना बाकी है– विशेषकर खाद्य पदार्थों और पोषण के क्षेत्र में। इसके विपरीत, लगता है कि विभिन्न तरीकों के जरिए जन–पोषण नीति में बड़े निगमों (मल्टीनेशनल कंपनियों) के प्रवेश के लिए स्थान बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) ने सभी लघु–पोषक तत्वों के बारे में खाद्य पदार्थों पर किसी भी प्रकार की शर्तों को हटा दिया, जिससे आरडीए (रिकमंडेड डायटरी एलाउंस) की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इस सिलसिले में अध्यादेश के बाद किए गए संशोधन पर सभी राजनीतिक दल सहमत हुए थे, जबकि सिविल सोसायटी के संगठनों ने उसका विरोध किया था। लेकिन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नियमों के मसौदे (मंत्रालय की वेबसाइट पर) में आहार के तत्वों पर अत्यंत सख्त शर्तें फिर लाई गई। लगता है कि इन सख्त शर्तों को इस प्रकार बनाया गया है कि कोई भी कम बजट वाला

संगठन (भले ही पूरी तरह जनहित की भावना से प्रेरित हो) उनका पालन न कर पाए। इस प्रकार की शर्तों से कॉरपोरेट या वाणिज्यिक कंपनियों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले प्रोसेस्ड फूड (प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ) की तरफदारी की जाएगी और आहार की सप्लाई और घर पर राशन ले जाने का कार्य करने वाले महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों के लिए मुश्किल हो जाएगा।

हम वर्ल्ड हेल्थ असेम्बली द्वारा हाल ही में जारी इस बयान की सराहना करते हैं कि भारत हित–संघर्ष रोकने के मसले पर कदम उठाए। इस बयान में उद्योग जगत द्वारा फंडिंग से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नुकसान के प्रति आगाह किया गया है। यह विडम्बनापूर्ण है कि ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जिनमें भारत सरकार अपनी नीति में उन संगठनों को जगह दे रहे हैं, जिनसे हित–संघर्ष पैदा होता है। उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने रिप्रोडक्टिव, मेटरनल, न्यूबोर्न चाइल्ड हेल्थ (आरएमएनसीएच) कॉऑलिशन शुरू किया है, जिसमें अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और एजेंसियां सदस्य हैं, जिनको बड़ी खाद्य पदार्थ कंपनियों से फंड्स मिलते हैं। इसके अलावा, इस कॉऑलिशन का सचिवालय एक अंतराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था के कार्यालय में स्थित है।

एक ओर जहां हम प्राइवेट सेक्टर के साथ इस प्रकार की अप्रत्यक्ष संबद्धता देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग से निपटने के लिए कोई कड़ा विनियामक दृष्टिकोण नहीं अपना रही है। जब बड़ी खाद्य निगमों के साथ निपटने का मसला उठता है तो सरकार ''विनियमन'' के बजाए ''जुड़ाव'' की भाषा में बात करती है। इन सरकारी कदमों या निष्क्रियता से बड़ी कंपनियां के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे पूरी तरह खुलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

हम नीति निर्धारण चर्चा में जनहितकारी सिविल सोसायटी संगठनों और व्यक्तियों के समतुल्य मुनाफा बटोरने वाली ताकतवर कंपनियों को शामिल नहीं करना चाहते हैं।

हम मांग करते हैं कि भारत सरकार :

- जन नीति निर्धारण एवं जन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित संघर्ष रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाए।

- जहां कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हित संघर्ष का खतरा हो, उसमें भावी साझेदारी से हट जाए और उससे बचे।

- खाद्य पदार्थ कंपनियों द्वारा प्रसंस्कृत एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग का विनियमन करे।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान किए जाने वाले आहार के बारे में में 50 प्रतिशत लघु पोषक तत्वों संबंधी सभी शर्तें हटाए।

एलायंस अगेन्स्ट कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
बीबीएनआई आईबीएफएएन एशिया
वर्किंग ग्रुप फोर चिल्ड्रन अंडर सिक्स ऑफ (जन–स्वास्थ्य अभियान और राइट टू फूड कैम्पेन)
इंडिया रिसोर्स सेन्टर

वक्ता :

डा. अरूण गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ, क्षेत्रीय समन्वयक, आईबीएफएएन एशिया, मोबाइल : 09899676306

डा. वंदना प्रसाद, सामुदायिक बाल रोग विशेषज्ञ, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार रक्षा आयोग (एनसीपीसीआर), मोबाइल : 09891552425

अमित श्रीवास्तव, समन्वयक, इंडिया रिसोर्स सेन्टर, मोबाइल : 09810346161

अमित सेनगुप्ता, पीपल्स हेल्थ मूवमेंट (जन–स्वास्थ्य अभियान), मोबाइल : 09810611425

सेजल धंड, राइट टू फूड कैम्पेन, मोबाइल : 8130200062

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

नूपुर बिड़ला

मोबाइल : 09958163610, फोन : 011–27343608

ईमेल : nupur@bpni.orf, nupurbidla@gmail.com

संपादक के लिए नोट्स

Manipulation by Association,Is Private Sector Undrmining Nutrition,EPW Vol –XLIX No.30,July 26,2014
http://www.epw.in/commentary/manipulation-association.html

Bellagio Declaration 2013, Countering Big Foods Undermining of Healthy Food Polices
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/obr.12104/asset/obr12104.pdf?v=1&t=hy2ufwar&s=e8f53681f9f584a6a12130446761fe0376743946

Joint statement to the WHO on the informal meeting of ICN 2 with non-state actors
http://www.babymilkaction.org/wp-content/uploads/2014/07/MTG-11-Julyfinal3.pdf

Protecting policy space for public health nutrition in an era of international investment agreements
http://www.who.int/bulletin/volumes/92/2/13-120543/en/

Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020
http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/

Follow-up to the Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-en.pdf

Draft rules framed under NFSA, 2013 - Ministry of Women Child Development.
http://wcd.nic.in/nfsadtd07072014.pdf